फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46

वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-01-वेतन	28750	22232	2275	2275	26475	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-02-मजदूरी	5300	7400	2100	2100	7400
						2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-45-अवकाश यात्रा व्यय	100	275	175	175	275
कुल योग-	28750	22232	2275	2275	26475		5400	7675	2275	2275	7675

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

01- वेतन-आयोग में सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण एवं आयोग कार्यालय में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिये जाने की दशा में वेतन मद में बचत होने की संभावना है।

02- स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं :-

02- मजदूरी-संविदा/आउटसोर्सिंग/बॉडीशॉपिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का वेतन इस मद द्वारा किया जाता है। चूंकि कार्मिकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्य के दृष्टिगत नियुक्ति के आभाव में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों द्वारा कार्य लिया जा रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल कार्मिकों की संख्या-64 है, जिन पर प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में धनराशि रू0 6,40,000.00 का व्यय हो रहा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी 08 माह का समय शेष है जिसके अनुसार पारिश्रमिक के रूप में धनराशि रू0 51,20,000.00 का व्यय होना निश्चित है, जबकि इस मद के रूपये 25,30,000.00 का बजट उपलब्ध है। अतः उक्त कार्मिकों को पारिश्रमिक देने हेतु कुल रू0 21,00,000.00 की आवश्यकता है।

45-अवकाश यात्रा व्यय-इस मद के द्वारा आयुक्तगण/अधिकारियों/कर्मचारियों के भ्रमण हेतु इस मद में व्यय किया जाता है। आयुक्तगण /अधिकारियों/कर्मचारियों के भ्रमण के धनराशि रू0 1,75,000.00 के बिल बाउचर्स बजट उपलब्ध न होने के कारण भुगतान हेतु लम्बित है। वित्तीय वर्ष समाप्ति तक आयुक्तगण/अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा भ्रमण हेतु इस सुविधा का लाभ दिया जाना सम्भावित है। अत इस मद में धनराशि रू0 4,00,000.00 की आवश्यकता होगी।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग के उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई.संख्या-102/यू0ओ0-ई-9-343/दस/2015. लखनऊ दिनांक 09-10-2015

महालेखाकार(लेखा एवं हक0)उ0प्र0, इलाहाबाद

(राम सुमेर)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

(लुटावन राम)
अनु सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

संख्या-32/2015/1535/43-1-2015-7(4)/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

.....3/–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 (तीन प्रतियों में)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।